

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या: 99/15
(आरसीएमएस संख्या 2015/00257)

निर्णय दिनांक:- 20-01-2020

1. हाजण अल्लाबसाई पत्नि महेन्द्रखॉ
 2. हाजी फतु खॉ
 3. मुख्थारखॉ
 4. शौकत खॉ
 5. नथली
 6. जन्नत(मृतक)
 - 6/1. रहीना खातून पुत्री जन्नत खातून
 - 6/2. सबान पुत्र जन्नत खातून
- जाति मुसलमान निवासीगण चक 9 केजेडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—



क्षेत्रीय वन अधिकारी, छत्तरगढ़।

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 24-12-2013
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थित:-

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री नन्दराम कासनियों, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के निर्णय व डिक्री दिनांक 24-12-2013 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा तथ्यों व कानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांटस के पति/पिता महेन्द्रखों को सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश क्रमांक 595 दिनांक 07-08-1987 के माध्यम से अपीलांट के धारण की भूमि चक 3 एमडीडब्ल्यूएम की अवाप्ति की एवज में विनिमय में चक 26 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 39/50 के किला नम्बर 11, 12, 13, 17, 18, 24 व 25 कुल 07 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन स्वीकृत किया गया। कालान्तर में अपीलांटस के पति/पिता को अदालत मातहत द्वारा दिनांक 04-04-1989 को बतौर स्मालपेच के तहत चक 26 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 39/50 के किला नम्बर 14 ता 16, 19 ता 23 कुल 08 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। जिस पर आवंटन की दिनांक से आज दिनांक तक अपीलांटस के पिता व वर्तमान में अपीलांटस कब्जा कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। जिसकी धोषणा करवाने का दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसका आगे की गिरदावरियों में अंकन नहीं हुआ है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु कई बार निवेदन किया जाता रहा है परन्तु राजस्व अमला द्वारा अपीलांट के आवंटन का राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का अंकन नहीं किया गया।



विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट आवंटित भूमि को सक्षम धोषित कराने का वादीगण ने दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। जो दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से साबित होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का दावा खारिज करने में कानूनी भूल कारित की है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में यह अभिलिखित किया गया है कि आवंटित भूमि का चरणबद्ध व समयबद्ध तरीके से सक्षम संबंधित कार्यालय से अंकन नहीं कराने की स्थिति में आवंटन स्वतः ही निरस्त व निष्प्रभावी हो जाता है। खसरा गिरदावरी संवत् 2066-69 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि वन विभाग के अंकन हुई है। अदालत मातहत की उक्त व्याख्या प्रकरण की वस्तुस्थिति के मद्देनजर गलत व्याख्या की गई है क्योंकि वादगत् भूमि अपीलांटस के पति/पिता को आवंटित भूमि थी जिसकी धोषणा हेतु धोषणात्मक वाद ²⁰लाया जा सकता है। जिसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ²⁰आवश्यक निहित है तथा जिसके लिए कोई मियांद बाधक नहीं है। चूंकि ²⁰बीकानेर वादगत् भूमि अपीलांट के नाम आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि रही है।

अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर किये बिना व बिना विस्तृत विवेचन किये ही आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष

प्रस्तुत वाद में ना तो तनकीयात् कायम की गई ना ही साक्ष्य लिये गये। अदालत मातहत द्वारा कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलांट/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष तमाम दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे जिनके आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि चक 26 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 39/50 के किला नम्बर 11 ता 25 तादादी 15 बीघा भूमि आवंटित की गई थी जिसकी धोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त करते हुए अपीलांट को वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि अपीलांट को क्रमशः दिनांक 07-08-1987 व दिनांक 04-04-1989 को आवंटन थी। अपीलांट द्वारा लगभग 25 वर्षों तक सक्षम न्यायालय से राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं करवाया गया है। ऐसी स्थिति में आवंटन स्वतः ही निष्प्रभावी व निरस्त हो जाता है। चूंकि वादगत् भूमि मौके पर वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि होने के कारण व कब्जे काश्त के अभाव में अपीलांट का दावा खारिज किया गया है। जो सही है। अतः अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जावे।



5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट/वादीगण द्वारा दावा धोषणात्मक रिकार्ड दुरुस्ती व प्राप्त करने चिर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादगत् भूमि चक 26 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 39/50 के किला नम्बर 11 ता 25 तादादी 15 बीघा अपीलांट्स के पति/पिता को आवंटित की गई थी, की धोषणा करवाने अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज किये जाने के फलस्वरूप उक्त अपील अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

राजस्थान राज्य अपील अधिकारी
बीकानेर

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट्स के पति/पिता को विधिवत रूप से आवंटित की गई थी जिस पर आवंटन की दिनांक से आज दिनांक तक कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। जिसकी धोषणा करवाने का दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वादगत् भूमि अपीलांट/वादीगण के कब्जे काशत में निरन्तर चली आ रही है। चूंकि उक्त भूमि वादीगण/अपीलांट को वर्ष 1987 व 1989 से आवंटन थी तथा मौके पर आज भी अपीलांट का कब्जा काशत है जिसकी धोषणा करवाने का अपीलांट/वादीगण कानूनन अधिकारी है।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व निर्णय का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में वन विभाग द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं 151 सीपीसी प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि वादगत् भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु अपीलांट द्वारा विधि सम्मत व समयबद्ध, चरणबद्ध तरीके से प्रस्तुत नहीं किया है ना ही सेल रजिस्टर में खाता संधारित है। खसरा गिरदावरी संवत् 2066-69 के अनुसार उक्त मुरब्बों में वन विभाग का अंकन है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का कभी भी कब्जा काशत नहीं रहा है।



(4) प्रकरण में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा काशत रहा हो। प्रकरण में यह तथ्य तो निर्विवाद है कि वादगत् भूमि अपीलांट को दिनांक 16-07-1987 को आवंटित थी। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वन विभाग हेतु दिनांक 17-02-1978 से आरक्षित भूमि है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलांट/वादीगण द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई। अपीलांट/वादीगण यदि वादगत् भूमि पर अपने हक व हकूक मानते हैं तो उन्हें उक्त आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करते हुए चाराजोई करनी चाहिए थी। अपीलांट/वादीगण द्वारा वादगत् भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित किये जाने के विरुद्ध कोई अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।

(5) प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट/वादीगण का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि क्रमशः वर्ष 1987 व 1989 को आवंटन होने के कारण खातेदारी हकों की धोषणा करवाने के अधिकारी है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथाखसरा गिरदावरी, जमाबन्दी, वादगत् भूमि की मौका रिपोर्ट आदि ना तो अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं व ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर आज दिनांक को उनका कोई

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कब्जा काश्त हो व अपीलांट/वादीगण के अभिकथनों को कोई बल प्राप्त होता हो। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट्स को वादगत् भूमि की धोषणा करवाने के अधिकारी नहीं माने जा सकते।

(6) अपीलांट अपने कथनों, राजस्व रिकार्ड, सबूतों व गवाहन के माध्यम से वादगत् भूमि के बाबत् अपने अधिकारों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे हैं। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश पूर्णतया न्यायसंगत व तर्कसंगत आदेश है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24-12-2013 उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20-01-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर इजलास सुनाया गया।




(राजस्थान राजस्व अपील अधिकारी)
राजस्थान राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

